राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4049/2024

अखिलेश नागर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, केकडी, जिला केकडी।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक, जिला टोंक।
5. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, उप जिला अस्पताल, टोडारायसिंह, जिला केकडी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.12.2024

आदेश की दिनांक : 20.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग अधिकारी द्वितीय के पद पर सीएचसी, दूनी, जिला केकडी में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी जब पीएचसी, चोरू उनियारा में पदस्थापित था और आदेश दिनांक 28.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सीएचसी, टोडारायसिंह स्थानांतरित किया

गया और दिनांक 23.11.2022 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। सीएमएचओ द्वारा आदेश दिनांक 24.07.2023 जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी को अगस्त, 2022 से पीएचसी चोरू में नर्सिंग अधिकारी के पद विरूद्ध अपीलार्थी के वेतन आहरण का आदेश जारी किया गया और इस प्रकार सीएचसी, दूनी में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद विरूद्ध स्वीकृति आदेश दिनांक 07.08.2023 जारी किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी का वेतन सीएचसी, दूनी से वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद विरूद्ध वेतन आहरण हो रहा है। जबकि सीएचसी, टोडारायसिंह केकडी में जहां पर अपीलार्थी पदस्थापित है और पद रिक्त भी है। वहां से वेतन नहीं दिये जाने के संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 11.12.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई निराकरण नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दियें जावें कि अपीलार्थी का वेतन आहरण नर्सिंग अधिकारी द्वितीय के रिक्त पद के विरूद्ध टोडारायसिंह केकडी से दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नर्सिंग अधिकारी द्वितीय के पद पर सीएचसी, दूनी, जिला केकडी में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश

(Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य